रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2016/श्रावण 6, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 139

No. 156] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2016/ SRAVANA 6 , 1938 [N.C.T.D. No. 139

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जुलाई, 2016

सं. फा. 16(596)/श.वि./जल/2016/1241-1242.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 29.12.. 2015 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 2.2.2016 के पत्र सं0 3/24(2)/2016–आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 1.6.1992 की अधिसूचना संख्या फा0 9/91/एलएसजी/4308 द्वारा अधिसूचित भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में **जन सम्पर्क अधिकारी** के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**––(1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड में **जन सम्पर्क अधिकारी** के पद के भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैण्ड/ग्रेड पे एवं वेतनमान.**––उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण, पे बैण्ड/ग्रेड पे तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं.**––उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**––कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**——जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव.**——इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

'अनुसूची''

1.	**पदनाम**	:	**जन सम्पर्क अधिकारी**
2.	**पदों की संख्या**	:	01 (2016) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी ''क''
4.	**पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान**	:	वेतन समूह–3 में 15600–39100/–रुपये (ग्रेड पे 6600/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है**	:	**<u>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</u>** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्धसरकारी या स्वायत्त या सांविधिक निकायों/ नगर निगमों के निम्नलिखित अधिकारीः– क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बैंड–3 के वेतनमान में 15,600–39,100 रू., ग्रेड पे 5400/– रुपये सहित नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष अथवा (3) पे बैंड–2 के वेतनमान में 9300–15600 रु., ग्रेड पे 4800/– रुपये सहित नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छः वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वालेः– प्रक्षेत्र (डोमेन) विषय में डिग्री सहित किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त सरकारी संस्थान या सरकारी समाचार एजेंसी से पत्रकारिता/प्रचार/जन सम्पर्क में तीन वर्ष का अनुभव । **टीप –1:** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। **टीप – 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।

12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	लागू नहीं
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th July, 2016

No. 16(596)/UD/W/2016/1241-1242.—The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated the 29th December, 2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. No. 3/24(2)/2016-RR dated the 2nd February, 2016 and in supersession of the recruitment and promotion regulations notified vide notification F9/9/91/LSG/4308 dated 1st June, 1992 except as respect things done or omitted to be done before such supersession regarding method of recruitment to the post of Public Relation Officer in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely:-

1. **Short title and commencement.—**These regulations may be called the Public Relation Officer in Delhi Jal Board Recruitment Regulations, 2016.

2. **Number of posts, Classification and pay band and grade pay/scale of pay.—**The number of post, its classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. **Power to relax.—**Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	Whether selection or non-Selection post .	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Public Relation Officer.	1(2016) Subject to variation dependent on workload.	Category 'A'.	PB-3 Rs. 15,600-39,100/- Plus Grade pay Rs. 6600/-.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
9.	10.	11.
Not Applicable.	By deputation including short term contract.	**<u>Deputation (ISTC):-</u>** Officers of the central/State Government/UTS/Universities/ recognized research institutions/PSUS/Semi Government OR autonomous OR Statutory bodies/Municipal Corporations: (A) (I) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; OR (II) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 5400/-; or equivalent in the parent cadre/department; OR (III) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2, 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/- or equivalent in the parent cadre/department; AND (B) Possessing the following educational qualifications and experience: Master's degree in the domain subject (s) plus three years experience in journalism/publicity/Public Relations of any Government department/Public Sector under takings/autonomous Government institution or a Government news agency. **Note-1:** Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note-2:** For the purpose of appointment on deputation (ISTC) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a

		common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotional Committee exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment.
12.	13.
Not Applicable.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

By Order and in the Name of Government of
National Capital Territory of Delhi,

R. C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.